



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 12, 2017/अग्रहायण 21, 1939

No. 466]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 12, 2017/AGRAHAYANA 21, 1939

भारतीय दन्त परिषद

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2017

सं. डी ई-22(11)-एम-2-2017.- अधिसूचना संख्या डीई-22-2017 दिनांक 28.6.2017 जोकि भारत सरकार के असाधारण गजट के भाग-III, खण्ड-4 में दिनांक 05.07.2017 को अधिसूचित हुआ था, के अंग्रेजी पाठ में आंशिक आशोधन निम्नानुसार प्रतिस्थापन/विलोपन किया जाता है:-

1. प्रथम पैरा की तीसरी लाइन, विनियमन 1 (i) के अन्तर्गत पहली लाइन और पाद टिप्पणी की पहली लाइन में प्रयुक्त शब्द "नये दन्त कालेजों में नई शुरुआत की स्थापना" के स्थान पर "नये दन्त कालेजों की स्थापना" शब्दों को रख कर इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. विनियम 1 (i) के अन्तर्गत प्रयुक्त शब्द "प्रारूप" का इसके द्वारा विलोपन किया जाता है।

एम.एल.मीना, संयुक्त सचिव (वि.एवं प्रशा.)

[विज्ञापन-III/4/असा./335/17]

DENTAL COUNCIL OF INDIA

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th December, 2017

No. DE-22(11)-M2-2017.—In partial modification of English version of notification No. DE-22-2017 dated 28.06.2017 published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary on 05.07.2017, the following substitutions/ deletion are made:-

1. The words "Establishment of New Opening of New Dental College" in third line of first paragraph, first line under regulation 1(i) and first line of Foot Note are hereby substituted by the words "Establishment of New Dental Colleges."
2. The word "Draft" in first line under regulation 1(i) is hereby deleted.

M. L. MEENA, Jt. Secy. (L&A)

[ADVT.-III/4/Exty./335/17]

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2017

सं. डी ई-22(12)-एम-2-2017.—अधिसूचना संख्या डीई-22(12)-2017 दिनांक 03.10.2017 जोकि भारत सरकार के असाधारण गजट के भाग-III, खण्ड-4 में दिनांक 11.10.2017 को अधिसूचित हुआ था, के अंग्रेजी पाठ में आंशिक आशोधन निम्नानुसार प्रतिस्थापन किया जाता है:-

प्रथम पैरा की तीसरी लाइन में, विनियमन 1 (i) के अन्तर्गत पहली लाइन, विनियम-2 के अन्तर्गत पहली लाइन, विनियम 3 के अन्तर्गत प्रथम लाइन और पाद टिप्पणी की पहली लाइन में प्रयुक्त शब्द "नये दन्त कालेजों में नई शुरुआत की स्थापना" के स्थान पर "नये दन्त कालेजों की स्थापना" शब्दों को रखकर इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

एम.एल.मीना, संयुक्त सचिव (वि.एवं प्रशा.)
[विज्ञापन-III/4/असा./335/17]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th December, 2017

No. DE-22(12)-M2-2017- In partial modification of English version of notification No. DE-22(12)-2017 dated 03.10.2017 published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary on 11.10.2017, the following substitutions are made:-

The words "Establishment of New Opening of New Dental College" in third line of first paragraph, first line under regulation 1(i), first line under regulation 2, first line under regulation 3 and first line of Foot Note are hereby substituted by the words "Establishment of New Dental Colleges"

M. L. MEENA, Jt. Secy. (L&A)

[ADVT.-III/4/Exty./335/17]

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2017

सं. डी ई-22(9)-एम-2-2017.—अधिसूचना संख्या डीई-22-2017 दिनांक 4.7.2017 जोकि भारत सरकार के असाधारण गजट के भाग-III, खण्ड-4 में दिनांक 05.07.2017 को अधिसूचित हुआ था, के अंग्रेजी पाठ में आंशिक आशोधन निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

1. प्रथम पैराग्राफ की चौथी लाइन, विनियम 1 (i) के अन्तर्गत दूसरी लाइन, पाद टिप्पणी की दूसरी लाइन में प्रयुक्त शब्द "उच्चतर की नयी" के स्थान पर "नया अथवा उच्चतर" को रखकर इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. विनियम 2 में शब्द "नये दन्त कालेजों में नई शुरुआत की स्थापना, प्रशिक्षण अथवा नये उच्चतर पाठ्यक्रमों के अध्ययनों को खोलना और दन्त कालेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना" के स्थान पर "नये दन्त कालेजों की स्थापना, दन्त कालेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कालेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना" शब्दों को रखकर इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

एम.एल.मीना, संयुक्त सचिव (वि.एवं प्रशा.)
[विज्ञापन III/4/असा./335/17]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th December, 2017

No. DE-22(9)-M2-2017.—In partial modification of English version of notification No. DE-22-2017 dated 04.07.2017 published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary on 05.07.2017, the following substitutions are made:-

1. The words "New of Higher" in fourth line of first paragraph, second line under regulation 1(i) and second line of Foot Note are hereby substituted by the words "New or Higher".
2. The words "Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges" in regulation 2 are hereby substituted by the words "Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges".

M. L. MEENA, Jt. Secy. (L&A)

[ADVT.-III/4/Exty./335/17]